न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—344 / 2015 / 223 (2015 / 00346)

1. श्रीराम पुत्र हगामा,
2. श्रीमती जिया पत्नि हीरा,
3. नाथू पुत्र हीरा,

समस्त जाति जाट, नि0 ग्राम सनोद, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, दिनांक 15.7.2015 अंतर्गत वाद संख्या 211 / 2012.

उपस्थितः—

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 21.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट / वादी ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं अंतर्गत धारा 136 राज0भू—राजस्वत अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद, तहसील नसीराबाद स्थित साबिक खसरा नंबर 502 रकबा 3—10—00 किस्म बारानी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण रहे है । उक्त साबिक खसरा नंबर 502 के हाल खसरा नबर 761 रकबा 0.45 है0 एवं खसरा नंबर 762 रकबा 0.12 है0 कायम किये गये जिसमें से भू—प्रबधं विभाग ने भू—प्रबधं की कार्यवाही के दौरान वर्किग जमाबंदी बनाते समय खसरा नंबर 761 रकबा 0.45 है0 को को वादी के नाम दर्ज कर दिया परन्तु सहवन से खसरा नंबर 762 रकबा 0.12 है0 भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजी खसरा नंबर 762 रकबा 0.12 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7. 2015 द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस

निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट का वाद खारिज करते समय इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज किया कि जब साबिक खसरा नंबर 502 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वर्किक जमाबदी में हीरा व श्रीराम पुत्रगण हगामा के नाम दर्ज चली आ रही है जिसके हाल खसरा नंबर 761 व 762 अंकित किये गये जिसमें खसरा नंबर 761 रकबा 0.45 है0 तो वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 में अपीलांटस के नाम दर्ज कर दी किन्तु खसरा नंबर 762 रकबा 0.12 है0 को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि राजस्व कर्मचारियों को उक्त आराजी को भी अपीलांटस/वादीगण के नाम ही दर्ज करना चाहिये था । वर्किग जमाबंदी के आधार पर ही वर्तमान जमाबंदी में इंद्राज करना चाहिये था । बहस में आगे कथन किया अधी0न्याया0 ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से भी निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिकी किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि सिवायचक दर्ज है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 502 रकबा 3–10–00 बीघा भूमि के खातेदार हीरा व श्रीराम पुत्रगण हगामा दर्ज है । साबिक खसरा नंबर 502 रकबा 3–10–00 के नवीन खसरा नंबर 761 रकबा 0.45 है0 एवं 762 रकबा 0.12 है0 बनना साबित है । वर्तमान जमाबंदी बनाते समय खसरा नंबर 761 रकबा 0.45 है0 भूमि तो अपीलांटस के नाम दर्ज कर दी गई किन्तु खसरा नंबर 762 रकबा 0.12 है0 सिवायचक दर्ज की गई है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने के उपरांत प्रतिवादी राज्य सरकार के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है । अधी0न्याया0 ने वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादी के जवाब के आधार पर वाद में तनकियात कायम नहीं की तथा वादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना वाद को सरसरी तौर पर खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 को वाद में वादपत्र एवं जवाब दावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वादी को निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

7. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है । ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदार कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 21.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर